[2019] 14. एस.सी.आर. 1072

असम लोक सेवा आयोग एवं अन्य।

बनाम

प्रांजल कुमार शर्मा एवं अन्य।

(2019 का सिविल अपील नंबर 9100) 28 नवंबर, 2019

[न्यायमूर्तिगण, आर. लबानुमथी, ए.एस. बोपन्ना एवं ऋषिकेश रॉय]

1. असम लोक सेवा आयोग (व्यवसाय का संचालन) प्रक्रिया, 2019: खंड 12.2-खंड 12.2 में कहा गया है कि 2019 की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पर लंबित साक्षात्कार, चयन या प्रतिस्पर्धी परीक्षा के संबंध में कोई भी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है और इसके अनुसार पूरी की जा सकती है। इस तरह के प्रारंभ से पहले लागू नियमों के प्रावधान, आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने इस खंड को खारिज कर दिया कि सभी लंबित साक्षात्कार/चयन और प्रतियोगी परीक्षाएं, भले ही 01.04.2019 से पहले जारी किए गए विज्ञापनों के कारण हुई हों, 2019 की प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होंगी न कि 2010 के नियम के द्वारा। अभिनिर्धारित किया गया कि, चयन की प्रक्रिया शुरू होने की तिथि पर मौजूद मानदंड, चयन को नियंत्रित करते हैं और मानदंडों में परिवर्तन तब तक चल रही प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि नए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव न दिया जाए। वर्तमान मामले में, जिस भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन 21.12.2018 को जारी किया गया था, उसके लिए 2019 प्रक्रिया (जो 01.04.2019 से लागू हुई) में कोई आवेदन नहीं हो सकता है, खासकर जब चयन का पहला चरण यानी स्क्रीनिंग टेस्ट 2010 के नियमों के तहत आयोजित किया गया था। 2019 प्रक्रिया में शामिल खंड 12.2 यह एकदम स्पष्ट करता है कि प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पर लंबित साक्षात्कार/चयन या प्रतियोगी परीक्षाओं को 2010 के नियमों के अनुसार जारी और पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार, विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया ए पी एस सी द्वारा 21 दिसंबर, 2018 को जारी विज्ञापन की तारीख पर लागू चयन मानदंडों के तहत आवश्यक रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। असम लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया अन्य व्यवसाय का संचालन) नियम, 2010-आरआर.29 अन्य 30.

1072 असम लोक सेवा आयोग बनाम प्रांजल कुमार शर्मा।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि: नकारात्मक अंकन की अवधारणा को पहली बार क्लाज-4 (बी) (ii) के तहत आरंभ किया गया है, जो यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के @ 0.25 अंक काट दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्लॉज 4(बी)(vi) में यह प्रावधान है कि साक्षात्कार के लिए अंक कुल अंकों के 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें उत्तरदाता और अन्य उम्मीदवार 2010 के नियमों के तहत 30.06.2019 को उपस्थित हुए, में कोई नकारात्मक अंकन नहीं था और इसलिए, उम्मीदवार बिना किसी डर के बहुविकल्पीय परीक्षण में सही उत्तर का अनुमान लगाने का जोखिम उठा सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, यदि अगला खंड चयन 2019 प्रक्रिया के तहत किया जाना है, उपरोक्त का प्रदर्शन स्क्रीनिंग टेस्ट में उम्मीदवार के कुल अंकों का 87.8 प्रतिशत, उम्मीदवार के अंतिम चयन का निर्धारण करेगा। यदि

उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है और चयन की प्रक्रिया का अगला चरण 2019 की प्रक्रिया के तहत किया जाता है, तो यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति को जन्म देगा क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट जो 2010 के नियमों के तहत नकारात्मक अंकन के बिना आयोजित किया गया था। नकारात्मक अंकन के प्रावधानों के बिना, चयन के अंतिम परिणाम पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने 2010 के नियमों के तहत परीक्षा दी है। यदि चयन के अगले खंड के संचालन के लिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना है, तो एकल भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन प्रक्रिया के दो अलग-अलग सेट यानी 2010 के नियमों और 2019 की प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा और इस तरह दोहरे मानदंडों को चल रही भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। [(पैरा 11-12, 16-17 [1077-एच; 1078-ए-सी; 1079-सी-एफ]

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मिथिलेश कुमार (2010) 13 एससीसी 467: [2010] 10 एस सी आर 161.

एन.टी. डेविन कट्टी एवं अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग एवं अन्य (1990) 3 एस सी सी 157-पर निर्भर।

केस लॉ रेफरेंस [2010] 10 एस सी आर 161 पैरा 13 (1990) पर भरोसा किया गया 3 एस सी सी 157 पैरा 13 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पर भरोसा किया गया [2019] 14 एस.सी.आर.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9100 of 2019.

गुवाहाटी में गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित-08.08.2019 के डब्ल्यू.पी. (सी) के 2019 से संख्या 4600.

पार्थिव के. गोश्वामी, श्री पलक महाजन, राहुल प्रताप, विवेक गुप्ता-अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से।

नलीन कहली, ए.ए.जी., श्रीमती रेखा पाण्डेय, शिव पी. पाण्डेय, राघव पाण्डेय, सुश्री स्मृति कुमारी, देबोजीत बोरकाकटी, विवेक सोनकर अधिवक्तागण प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय द्वारा सुनाया गया।

1 अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 23677 से उत्पन्न हुई है। असम लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "ए पी एस सी") ने डब्ल्यू.पी. में 8 अगस्त, 2019 के फैसले और आदेश को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया है। (सी) 2019 की संख्या 4600 जिसके तहत गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम लोक सेवा आयोग (व्यवसाय का संचालन) प्रक्रिया, 2019 (इसके बाद "2019 प्रक्रिया" के रूप में संदर्भित) के खंड 12.2 के एक हिस्से को रद्द कर दिया। निम्नलिखित भाग 2019 प्रक्रिया के तहत 1 अप्रैल, 2019 से शामिल खंड 12.2 को उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया।

हम देखते हैं, "और इन प्रक्रियाओं के प्रारंभ होने की तिथि पर लंबित साक्षात्कार, चयन या प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में कोई भी कार्यवाही ऐसे प्रारंभ से पहले लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी और पूरी की जा सकती है।"

3. उपरोक्त का परिणाम यह है कि जल संसाधन विभाग के तहत सहायक अभियंता (सिविल) की 65 रिक्तियों के लिए, भर्ती के दौरान चल रही प्रक्रिया के लिए चयन के मानदंड बदल जाते हैं, जिसके लिए ए पी एस सी ने एक अधिसूचना जारी की थी। 21 दिसंबर, 2018 को विज्ञापन ("अनुलग्नक पी-1)। विज्ञापन की तिथि पर, पिछले मानदंड यानी असम लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया अन्य व्यवसाय का संचालन) नियम, 2010 (इसके बाद "2010 नियम" के रूप में संदर्भित) लागू थे। 2010 के नियम शैक्षणिक योग्यता, विशेष ज्ञान, अतिरिक्त असम लोक सेवा आयोग बनाम प्रांजल के मूल्यांकन के लिए प्रदान किए गए

कुमार शर्मा [न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय]

नियम 29 और 30 के तहत प्रासंगिक योग्यता, प्रासंगिक सेवा अनुभव आदि निम्नलिखित तरीके से: -

"29. आयोग अर्हता मानक निर्धारित कर सकता है। चयन सूची का अंतिम क्रम तैयार करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, विषय ज्ञान, अतिरिक्त प्रासंगिक योग्यता, पद से संबंधित सेवा अनुभव आदि को महत्व देना।

30. मौखिक परीक्षा में अंक निम्नानुसार आवंटित किए जाएंगे:

(i) पद/अधिमान्य योग्यता के लिए प्रासंगिक शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता/सेवा अनुभव पर 50%।

(ii) विषय ज्ञान और सामान्य ज्ञान के लिए 50%। इसमें से 20% विषय ज्ञान के लिए और शेष 30% सामान्य ज्ञान के लिए होगा।

सलाहकार/विशेषज्ञ के अंकों के लिए पांच ग्रेडिंग होंगी, जैसे 'उत्कृष्ट', बहुत अच्छा', 'अच्छा', 'उचित' और 'औसत', जिसका मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।"

4. उपरोक्त 20/0 नियमों को एक मानश प्रतिम बरूहा द्वारा 2017 के डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1998 के माध्यम से गौहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग को 20/0 नियमों की प्रकृति में किसी भी नियम को अपनाने का अधिकार नहीं है, जैसा कि ए पी एस सी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के प्रावधानों के तहत शक्तियों को लागू करके किया गया था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 2010 के नियमों को निरस्त कर दिया गया और प्रक्रिया का एक नया सेट 1.e, "असम लोक सेवा आयोग (व्यवसाय का संचालन) प्रक्रिया, 2019" 1 अप्रैल, 2019 से लागू हुआ। तदनुसार, ए पी एस सी ने 2017 के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1998 में दायर अपने हलफनामे के माध्यम से उच्च न्यायालय को 20/9 प्रक्रिया को अपनाने के बारे में सूचित किया।

5. उस अवधि के दौरान, सहायक अभियंता (सिविल) के 65 पदों को भरने के लिए विज्ञापन (दिनांक 21.12.2018) पर कार्रवाई करते हुए, एपीएससी ने 12.06.2019 को अधिसूचित किया था कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के साथ ओएमआर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। , 30.06.2019 को आयोजित किया जाएगा। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा 20/0 नियमों के तहत आयोजित की गई थी और इस तरह कोई नकारात्मक अंकन नहीं था, जिसे एपीएससी द्वारा आयोजित चयनों के लिए 2019 प्रक्रिया द्वारा पहली बार पेश किया गया था।

6. चारों उत्तरदाताओं ने 21 दिसंबर, 2018 के विज्ञापन का जवाब देकर अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की थी। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर.

30.06.2019 को आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित हुए। फिर भी उन्होंने 2019 की प्रक्रिया के खंड 12.2 को चुनौती देते हुए 2019 का W.P.(C) नंबर 4600 भी दायर किया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 2010 के नियमों को निरस्त करने के बावजूद, साक्षात्कार / चयन या प्रतिस्पर्धी परीक्षा या घोषणा के संचालन सहित निरस्त नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ए पी एस सी द्वारा उसके किसी भी परिणाम को वैध माना जाएगा और लंबित साक्षात्कार/चयन या प्रतियोगी परीक्षाओं को 2010 के नियमों के अनुसार जारी रखा और पूरा किया जा सकता है। इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं के रूप में चार उत्तरदाताओं द्वारा मूल चुनौती, 2010 के नियमों के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए बचत खंड को लेकर थी। इस स्तर पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 2010 के नियमों को निरस्त करके 2019 की प्रक्रिया को अपनाने के मद्देनजर, 2017 के पिछले WP (C) नंबर 1998 को उच्च द्वारा 16 जुलाई, 2019 को अर्थहीन के रूप में निपटाया गया था। न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को, यदि वह व्यथित है, नव निर्मित 2019 प्रक्रिया पर आक्रमण करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी है।

7. गौहाटी उच्च न्यायालय ने 22.07.2019 को 2019 के डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 4600 में वापसी योग्य नोटिस जारी किया और डिवीजन बेंच ने यह देखने के बाद कि एपीएससी बड़ी संख्या में परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, एक टिप्पणी की कि इसे निपटाने का प्रयास किया जाएगा। मामला वापसी योग्य तिथि यानि 08 अगस्त, 2019 को।

8. मामले पर अगली बार वापसी योग्य तिथि पर विचार किया गया और उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.08.2019 के आक्षेपित फैसले के तहत माना कि 2010 के नियमों में उन साक्षात्कारों/चयनों के लिए कोई आवेदन नहीं होगा, जिनके लिए अभ्यास शुरू नहीं हुआ है। न्यायालय ने यह भी देखा कि 01.04.2019 (2019 प्रक्रिया शुरू होने की तारीख) से पहले जारी विज्ञापन की 2019 प्रक्रिया की प्रयोज्यता के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है और तदनुसार माना गया कि ऐसी स्थिति में भी जहां लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी लेकिन साक्षात्कार नहीं है अभी तक आयोजित नहीं किया गया है, चयन के साक्षात्कार खंड में नई शुरू की गई 2019 प्रक्रिया को लागू किया जाना है। अंततः यह पाया गया कि सभी लंबित साक्षात्कार/चयन अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, भले ही पहले जारी किए गए विज्ञापनों के कारण हुई हों

01.04.2019 को 2019 प्रक्रिया द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तदनुसार, प्रतिवादियों की रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 08.08.2019 को अनुमति दी गई थी।

9.1 आक्षेपित निर्णय की वैधता पर सवाल उठाते हुए, विद्वान अधिवक्ता श्री पार्थिव के. गोस्वामी ने कहा कि वर्तमान में एपी एस सी, जल संसाधन असम लोक सेवा आयोग बनाम प्रांजल कुमार शर्मा [न्यायमूर्ति, ऋषिकेश रॉय], के लिए विषय भर्ती/चयन का संचालन करने के अलावा,

विभाग, अन्य बातों के अलावा, कंप्यूटर ऑपरेटर/टाइपिस्ट, वन रेंजर, कृषि विकास अधिकारी के पदों के लिए भी चयन प्रक्रिया चला रहा है, जिसके लिए 2019 प्रक्रिया को शामिल करने से पहले संबंधित विज्ञापन जारी किए गए थे और स्क्रीनिंग टेस्ट/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 2010 के नियमों के तहत आयोजित किए गए थे। 21.12.2018 को विज्ञापित सहायक अभियंता (सिविल) के 65 पदों के लिए भर्ती के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 02.02.2019 निर्धारित की गई थी अन्य उसके बाद चार उत्तरदाताओं सहित लगभग 6000 आवेदक थे। 2010 के नियमों के तहत 30.06.2019 को आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उपस्थित हुए। इन प्रासंगिक तिथियों की ओर ध्यान दिलाते हुए, अपीलकर्ता तर्क देंगे कि वर्तमान मामले में चयन की प्रक्रिया 01.04.2019 से प्रभावी 2019 प्रक्रिया अधिसूचित होने से काफी पहले विज्ञापन जारी करने के साथ शुरू हो गई थी अन्य इसलिए, चयन 2010 के नियम के अनुसार होना चाहिए जो उस दिनांक को प्रचलित थे।

विज्ञापन।

9.2 अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि 2019 प्रक्रिया के माध्यम से ए पी एस सी द्वारा चयन मानदंडों में बदलाव, जिसका संभावित अनुप्रयोग है, का 2019 प्रक्रिया में शामिल व्यावृत्ति खंड के कारण, चल रही प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होना चाहिए।

10.1 प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 (रिट याचिकाकर्ताओं) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रेखा पांडे ने 2019 प्रक्रिया की प्रस्तावना का हवाला देते हुए तर्क दिया कि नई प्रक्रिया भर्ती के संचालन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अपनाई गई थी। आयोग द्वारा, 2010 के नियमों में प्रक्रिया में देखी गई कमियों के कारण था। तदनुसार, उनका तर्क है कि भर्ती अभ्यास के मौखिक-परीक्षा खंड के लिए 2019 प्रक्रिया को अपनाने से योग्यता के लिए वेटेज सुनिश्चित होगा और मनमाने चयन से बचा जा सकेगा, जो 2010 के नियमों के तहत संभव था।

10.2 उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने 2010 के नियमों के नियम 29 और 30 का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि परिकल्पित प्रक्रिया ने उम्मीदवारों की योग्यता, उनकी शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता, सेवा अनुभव आदि का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त महत्व प्रदान नहीं किया है और इसलिए, 2019 प्रक्रिया को चयन के अगले चरण को नियंत्रित करना चाहिए।

11. प्रतिद्वंद्वी अधीनता से निपटने के लिए, की प्रक्रिया में प्रासंगिक खंड 2019 प्रक्रिया के तहत परिकल्पित चयन पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए नकारात्मक अंकन की अवधारणा पेश की गई है रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर.

खंड 4(बी)(ii) के तहत पहली बार जो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रावधान करता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.25 अंक काटे जाते हैं। इसके अलावा क्लॉज 4(बी)(vi) में यह प्रावधान है कि साक्षात्कार के लिए अंक कुल अंकों के 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें उत्तरदाता और अन्य उम्मीदवार 2010 के नियमों के तहत 30.06.2019 को उपस्थित हुए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं था अन्य इसलिए, उम्मीदवार गलत उत्तर के लिए दंडित होने के डर के बिना, बहुविकल्पीय परीक्षा में सही उत्तर का अनुमान लगाने का जोखिम उठा सकते थे।

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यदि चयन का अगला खंड 2019 प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाना है, तो उपरोक्त स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल अंकों के 87.8 प्रतिशत की सीमा तक उम्मीदवार का प्रदर्शन, अंतिम चयन का निर्धारण करेगा। इसलिए, सवाल यह है कि क्या यह उम्मीदवारों के लिए उचित होगा जब कुछ का प्रदर्शन भाग्यशाली अनुमान से अधिक निर्धारित होगा और वास्तविक योग्यता की कुल स्कोर में कोई भूमिका नहीं हो सकती है। अन्य प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या चयन की पद्धति को बीच में, बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। 21.12.2018 को विज्ञापित रिक्तियों के लिए 01.04.2019 से शामिल 2019 प्रक्रिया को अपनाते हुए।

13. चयन प्रक्रिया के दौरान नए सिरे से लाए गए नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में कानून को इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चयन की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पर मौजूदा मानदंड चयन को नियंत्रित करेंगे और मानदंडों में परिवर्तन तब तक चल रही प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि नए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव न दिया जाए। (देखें बिहार राज्य और अन्य बनाम मिथिलेश कुमार')। इसी तरह एन.टी. डेविन कट्टी एवं अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग एवं अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक उम्मीदवार के पास नियमों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने का सीमित अधिकार है क्योंकि वे विज्ञापन की तारीख पर मौजूद थे और उसे उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। चयन के लंबित रहने के दौरान नियमों में संशोधन द्वारा अधिकार, जब तक कि नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू न किया जाए बना रहता है।

14. यदि हम मिथिलेश कुमार (सुप्रा) और एन.टी. डेविन कट्टी (सुप्रा) में कानून की उपरोक्त व्याख्या के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के लिए (2010) 13 एस सी सी 467

(1990) 3 एस सी सी 157

असम लोक सेवा आयोग बनाम प्रांजल कुमार शर्मा [न्यायमूर्ति, ऋषिकेश रॉय]

दिनांक 21.12.2018 को विज्ञापन जारी किया गया, 2019 की प्रक्रिया (जो दिनांक-01.04.2019 से प्रभावी हुआ) का कोई आवेदन नहीं हो सकता है, खासकर जब चयन का पहला चरण यानी स्क्रीनिंग टेस्ट 20/0 नियमों के तहत आयोजित किया जा चुका हो।

15. व्यक्ति को धारा 12.2 में शामिल व्यावृत्ति के प्रति भी सचेत रहना चाहिए 2019 प्रक्रिया जो स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करती है कि साक्षात्कार/चयन या प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख लंबित है प्रक्रिया की शुरूआत 2010 के नियमों के अनुसार जारी रखी जानी चाहिए और पूरी की जानी चाहिए।

16. वर्तमान मामले में, यदि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है और चयन की प्रक्रिया का अगला चरण 2019 प्रक्रिया के तहत किया जाता है, तो यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति को जन्म देगा, क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा जो 2010 के नियमों के तहत नकारात्मक अंकन के प्रावधानों के बिना आयोजित की गई थी नकारात्मक अंकन के चयन के अंतिम परिणाम पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह निश्चित रूप से उन उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने 20/0 नियमों के तहत परीक्षा दी है। इस मुद्दे पर सुसंगत कानून यह भी स्पष्ट करता है कि 21 दिसंबर, 2018 को ए पी एस सी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आवश्यक रूप से विज्ञापन की तारीख पर लागू चयन मानदंडों के तहत आयोजित की जानी चाहिए। इसके अलावा नियम 2010 के नियम 29 और नियम 30 को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा जाना चाहिए कि ए पी एस सी द्वारा किए गए चयन अभ्यास में उम्मीदवारों की योग्यता का निश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। ए पी एस सी निष्पक्ष चयन करने में भी सक्षम है और हमें विश्वास है कि वे विधिपूर्ण अपेक्षा और संवैधानिक जनादेश को मस्तिष्क में रखेंगे।

17. यदि चयन के अगले खंड के संचालन के लिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना है, तो एकल भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन प्रक्रिया के दो अलग-अलग सेट यानी 2010 नियम और 2019 प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा और हमारी राय में ऐसे दोहरे मानदंड, चल रही भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करने चाहिए।

18. पूर्वगामी के मद्देनजर, हम यह मानने के लिए सहमत हैं कि जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) के 65 पदों के लिए दिनांक 21.12.2018 के विज्ञापन के माध्यम से ए पी एस सी द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को 2010 के तहत अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। नतीजतन, 2019 प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर. के आवेदन के लिए निर्देश जारी किया गया। आक्षेपित निर्णय को उचित नहीं पाया गया और तदनुसार हस्तक्षेप किया गया। ए पी एस सी को 2010 के नियमों का पालन करते हुए विज्ञापित पदों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति देकर अपील स्वीकार की जाती है।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की गई।

Digitally signed by REKHA VISHWAKARMA
Date: 2023.11.03 15:46:58 IST
Reason: Judgement Order
Location: District and Sessions Court Raebareli